



**INTERNATIONAL JOURNAL OF
MULTIDISCIPLINARY RESEARCH
IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY**

Volume 7, Issue 4, April 2024

ISSN

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 7.521



6381 907 438



6381 907 438



ijmrset@gmail.com



www.ijmrset.com



वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण

Bhupendra Choudhary

MA, B.Ed, NET (Economics), AJMER, Rajasthan, India

सार

महिलाएँ प्रायः पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर छूट जाती हैं और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिये उन्हें विशेष रूप से लक्षित करने की आवश्यकता है। महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने, श्रम बल में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने और लैंगिक बाधाओं को दूर करने से उनके वित्तीय सशक्तीकरण को साकार किया जा सकता है।

परिचय

यह एडिटोरियल 08/02/2023 को 'हिंदू बिजनेस लाइन' में प्रकाशित "Financial inclusion faces hurdles" लेख पर आधारित है। इसमें महिला व्यवसाय संवाददाताओं (BCs) की बढ़ती हुई संलग्नता के औचित्य के साथ ही मौजूदा परितंत्र में इस पेशे को अव्यवहारिक बनाने से संबद्ध चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई है।

व्यवसाय संवाददाता या व्यवसाय प्रतिनिधि (Business Correspondents- BCs) किसी बैंक की वित्तीय समावेशन रणनीति के महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में 95% से अधिक बैंकिंग आउटलेट उनके द्वारा ही संचालित किये जा रहे हैं। महिला ग्राहकों के लिये विशेष रूप से प्रासंगिक व्यवसाय संवाददाता परिवहन लागत, समय और संकोच संबंधी बाधाओं को कम करते हुए उनके घरों (या घरों के आस-पास) से बैंकिंग लेनदेन सुविधा को सरल बनाने में अहम योगदान कर रहे हैं।

BCs वे मध्यस्थ हैं जो वित्तीय संस्थानों (जैसे बैंक और सूक्ष्म-वित्त संगठन) की ओर से उन भूभागों में वित्तीय सेवाओं की पेशकश करते हैं जहाँ पारंपरिक शाखाएँ स्थापित करना जटिल या महँगा है। BCs बैंक सुविधाओं से वंचित आबादी के घरों तक वित्तीय सेवाएँ पहुँचाने के लिये मोबाइल प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न वितरण चैनलों का उपयोग करते हैं। [1,2,3]

बहुत से लोग, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में, वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने में उल्लेखनीय बाधाओं का सामना करते हैं। इस परिवृश्य में व्यवसाय प्रतिनिधियों की सेवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

BCs सेवा के प्रसार के बावजूद महिला व्यापार प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व निराशाजनक रूप से कम रहा है और उपलब्ध आँकड़े बताते हैं कि वे BCs के कुल नेटवर्क के 10% से भी कम हिस्सेदारी रखती हैं। वर्तमान पारिस्थितिकी तंत्र में अभी भी कुछ ऐसी चुनौतियाँ मौजूद हैं जो इस पेशे को उनके लिये अव्यवहार्य बनाती हैं और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिये इस दिशा में तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

महिला व्यापार प्रतिनिधियों से संबद्ध चुनौतियाँ

- वित्तीय समावेशन का अभाव:
 - कई महिला व्यवसाय प्रतिनिधियों (Woman Business Correspondents- WBCs) को अपनी निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति और संपार्श्विक की कमी के कारण अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिये वित्तीय सेवाओं तथा ऋण तक पहुँच में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- डिजिटल निरक्षरता:
 - WBCs की एक बड़ी संख्या डिजिटल प्रौद्योगिकी से परिचित नहीं हैं और डिजिटल वित्तीय सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिये आवश्यक कौशल की कमी रखती है।

- न्यूनतम योग्यता:
 - न्यूनतम योग्यता एक और बाधा है जो WBCs के इस पेशे में शामिल होने को बाधित करती है (विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में) [4,5,6]
 - इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस से RBI द्वारा निर्दिष्ट वर्तमान बीसी/बिजनेस फैसिलिटेटर सर्टिफिकेशन के लिये परीक्षा में बैठने हेतु 10वीं पास को न्यूनतम योग्यता घोषित किया गया है।
 - कई बैंकों ने 12वीं पास को न्यूनतम योग्यता रखकर इसे और कठिन बना दिया है।
- सामाजिक रवैया:
 - WBCs को प्रायः ऐसे सामाजिक रवैये का सामना करना पड़ता है जो महिलाओं को उद्यमियों के बजाय गृहिणी की पारंपरिक भूमिका में देखता है और यह उनके व्यवसाय प्रसार के अवसरों को सीमित कर सकता है।
- सरकार और वित्तीय संस्थानों से समर्थन की कमी:
 - WBCs को प्रायः सरकार और वित्तीय संस्थानों की ओर से समर्थन की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके लिये अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिये आवश्यक संसाधनों तक पहुँच बनाना कठिन हो जाता है।
- सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:
 - कई WBCs ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत होती हैं जहाँ हिंसा और अपराध का उच्च जोखिम होता है, जो उनकी गतिशीलता को सीमित कर सकता है और लेन-देन कार्य के दौरान उन्हें खतरे में डाल सकता है।
- सीमित वित्तीय सहायता:
 - महिला BCs के समक्ष विद्यमान गतिशीलता एवं सुरक्षा जैसी सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिये व्यवसाय प्रतिनिधि नेटवर्क प्रबंधकों या बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त वित्तीय सहायता बेहद सीमित है।

भारत में वित्तीय समावेशन से संबद्ध अन्य प्रमुख चुनौतियाँ

- जागरूकता की कमी:
 - ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में कई व्यक्ति और छोटे व्यवसाय उनके लिये उपलब्ध वित्तीय सेवाओं तथा उनके लाभों से परिचित नहीं हैं।
- डिजिटल साक्षरता:
 - डिजिटल वित्तीय सेवाओं के उदय के साथ डिजिटल साक्षरता और प्रौद्योगिकी तक पहुँच की आवश्यकता है, जिसकी अभी भी भारत के कई हिस्सों में कमी है।
- आधारभूत संरचना:
 - सड़क, दूरसंचार नेटवर्क और बिजली आपूर्ति जैसी भौतिक अवसंरचना की कमी दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की पहुँच को बाधित करती है।
- लागत:[7,8,9]
 - दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने की लागत आधारभूत संरचना की कमी के कारण अधिक है, जो फिर इसे वित्तीय संस्थानों के लिये अलाभकारी बनाती है।
- भरोसे का मुद्दा:
 - बैंक सेवा से वंचित आबादी के बीच भरोसे का निर्माण एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अनुभव की कमी या पिछले नकारात्मक अनुभवों के कारण कई व्यक्ति औपचारिक वित्तीय संस्थानों के प्रति अविश्वास रखते हैं।



वित्तीय समावेशन को गहन करने में WBCs कैसे मदद कर सकती हैं?

- तालमेल: वे छोटी बचत योजनाओं एवं सामाजिक सुरक्षा प्रस्तावों को बढ़ावा देते हुए विविध ग्राहक समूहों के साथ तालमेल बनाने और मांग-संचालित वृद्धिशील राजस्व को बढ़ावा देने में सक्षम हैं।
- पारदर्शिता: महिला एजेंटों की अधिक संख्या प्रणाली की पारदर्शिता बढ़ा सकती है। महिला BC एजेंटों में नैसर्जिक रूप से अधिक धैर्य होता है और वे प्रश्नों को संबोधित करने या उत्पाद सुविधाओं की व्याख्या करने के लिये अधिक इच्छुक होती हैं।
- अन्य महिलाओं को प्रोत्साहन: महिला ग्राहक अपने परिवार की वित्तीय समस्याओं और आवश्यकताओं को महिला BC एजेंटों के साथ अधिक खुले तौर पर साझा करने की प्रवृत्ति रखती हैं, जिससे उत्पाद बिक्री की बेहतर समझ पैदा होती है।
- निष्पादन क्षमता: कार्य निष्पादन के मामले में महिला BC एजेंट पुरुष एजेंटों के समान या उनसे अधिक व्यवसाय लाती हैं और अधिक से अधिक वंचितों की सेवा कर सकती हैं। ग्राहकों के परिप्रेक्ष्य से, वे दूरदराज के इलाकों, बुजुर्गों और आबादी के अन्य वंचित वर्गों में ग्राहक सेवा के विस्तार की अधिक संभावना रखती हैं। वे कदाचारों के प्रति कम संवेदनशील होती हैं और ग्राहकों के प्रति कपटपूर्ण कार्य करने के लिये कम प्रवण होती हैं।

सरकार के अन्य संबंधित कदम

- 'एक ग्राम पंचायत - एक व्यवसाय प्रतिनिधि सखी':
 - इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023-24 के अंत तक इनकी संख्या को बढ़ाने और प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक 'व्यवसाय प्रतिनिधि सखी' तैनात करने की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में शुरू किया गया था।
 - अध्ययनों से संकेत मिलता है कि महिला BCs उच्च लाभप्रदता, वित्तीय उत्पादों की व्यापक क्रॉस-सेलिंग और कम संघर्षण दर (lower attrition rates) दिखाती हैं।
 - लॉकडाउन के दौरान व्यवसाय प्रतिनिधि सखी के रूप में संलग्न की गई स्व-सहायता समूह (SHG) की सदस्यों ने लोगों के घरों तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नकद हस्तांतरण एवं अन्य प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के साथ ही बैंक शाखाओं की ओर लाभार्थियों की दौड़ को कम करने के लिये जागरूकता के प्रसार और पहुँच को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- अन्य योजनाएँ:
 - प्रधानमंत्री जन धन योजना
 - डिजिटल पहचान (आधार)
 - राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (NCFE)
 - वित्तीय साक्षरता केंद्र (CFL) परियोजना

आगे की राह

- BCs को आकर्षित करने के लिये लैंगिक भर्ती रणनीति तैयार करना:
 - अधिकाधिक महिला व्यवसाय प्रतिनिधियों को आकर्षित करने के लिये एक लैंगिक भर्ती रणनीति (gendered recruitment strategy) तैयार करना (जिसमें उनके कर्मियों एवं कॉर्पोरेट BCs के लिये विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करना शामिल है) और संभावित महिला उम्मीदवारों की पहचान करने के लिये कॉर्पोरेट BCs को प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन देना उन संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकता है जिनका सामना महिलाओं को करना पड़ता है।
 - उपकरण एवं किराया संबंधी सहायता प्रदान करना (महिलाओं के लिये अग्रिम पूंजी निवेश करने की आवश्यकता के बजाय), पहले वर्ष के लिये प्रारंभिक वित्तीय सहायता देने जैसा प्रोत्साहन, गतिशीलता के मुद्दों को हल करना,

कार्यकरण के लचीले समय की पेशकश करना तथा महिला BCs एवं उनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना (जैसे स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना) आदि अनुकूल कार्रवाइयाँ महिला व्यवसाय प्रतिनिधियों के लिये प्रवेश बाधाओं को कम कर सकती हैं, जिससे वे इस व्यवसाय को चुनने के लिये प्रेरित होंगी।

- इसके साथ ही, प्रशिक्षण, सलाह, निरंतर समर्थन सुनिश्चित करने (समर्पित अधिकारियों के माध्यम से) और महिला एजेंट समुदायों का निर्माण करने के माध्यम से महिला BCs के लिये एक सहायक वातावरण का सृजन करना उन्हें दीर्घकालिक रूप से फलने-फूलने में मदद करेगा।
- डिजिटल अवसंरचना का विस्तार:[10,11,12]
 - भारत सरकार और वित्तीय संस्थान दूरस्थ एवं अविकसित क्षेत्रों तक पहुँच के लिये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एवं मोबाइल फोन जैसे डिजिटल बुनियादी ढाँचे के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
 - इससे लोग अपने घरों से सरलतापूर्वक वित्तीय सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे।
- डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना:
 - आबादी के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने की भी ज़रूरत है, विशेष रूप से उन लोगों के बीच जो कम पढ़े-लिखे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।
 - इसे वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम और जागरूकता अभियान जैसे विभिन्न पहलों के माध्यम से हासिल किया जा सकता है।
- वहनीय वित्तीय उत्पादों का प्रावधान:
 - वित्तीय संस्थान वहनीय या किफायती वित्तीय उत्पाद प्रदान कर सकते हैं जो निम्न आय समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं (जैसे लघु ऋण, माइक्रो-इंश्योरेंस और निम्न न्यूनतम शेष राशि वाले बचत खाते) की पूर्ति करें।
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग:
 - वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिये सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के लिये एक साझा लक्ष्य की दिशा में सहयोग करना और मिलकर कार्य करना महत्वपूर्ण है। इस क्रम में सरकार एक अनुकूल नियामक वातावरण का निर्माण कर सकती है, जबकि वित्तीय संस्थान आवश्यक वित्तीय सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं।
- महिला वित्तीय सशक्तीकरण पर ध्यान देना:
 - महिलाएँ प्रायः पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर छूट जाती हैं और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिये उन्हें विशेष रूप से लक्षित करने की आवश्यकता है।
 - महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने, श्रम बल में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने और लैंगिक बाधाओं को दूर करने से उनके वित्तीय सशक्तीकरण को साकार किया जा सकता है।

विचार-विमर्श

ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास लाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, एचपीपीआई (हयूमना पीपल टू पीपल इंडिया) का महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन कार्यक्रम भारत के 4 राज्यों, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। कार्यक्रम का विचार महिलाओं को प्रासंगिक जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान करने, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने और उन्हें सामुदायिक विकास को उत्प्रेरित करने वाले नेता बनाने के लिए प्रेरित करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य वित्तीय और बुनियादी साक्षरता के माध्यम से महिलाओं की क्षमता का निर्माण करना है, ताकि वे अपने वित्तीय संसाधनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकें, वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच सकें और सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ उठा सकें।

वित्तीय और कार्यात्मक साक्षरता और उद्यमिता प्रशिक्षण के माध्यम से, कार्यक्रम 2018 में 136,591 महिलाओं तक पहुँच गया। कार्यक्रम ने साक्षरता के स्तर में मौजूदा लिंग अंतर को कम करने और उन्हें शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण महिलाओं को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान की। कार्यक्रम ने 5,871 महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जिससे उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिली। इसके अलावा एक बड़ी उपलब्धि प्रतिभागियों के 30,730



बैंक खातों का संचालन था, जिसने महिलाओं को सरकार और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा कई वित्तीय कार्यक्रमों और योजनाओं तक पहुंचने और उनका लाभ उठाने की अनुमति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

शोध से पता चलता है कि जब लोग वित्तीय प्रणाली में भाग लेते हैं, तो वे जोखिम का प्रबंधन करने, व्यवसाय शुरू करने या निवेश करने और शिक्षा या घर में सुधार जैसे बड़े व्यय को निधि देने में बेहतर सक्षम होते हैं। महिलाओं के वित्तीय समावेशन को बढ़ाना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि महिलाएं असमान रूप से गरीबी का अनुभव करती हैं, जो श्रम के असमान विभाजन और आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण की कमी के कारण उत्पन्न होती है। जबकि महिलाओं के वित्तीय समावेशन में मांग और आपूर्ति पक्ष की बाधाएं बनी हुई हैं, इस समीक्षा से पता चलता है कि उचित वित्तीय उत्पाद डिज़ाइन इनमें से कुछ बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकता है। यह समीक्षा उत्पाद द्वारा आयोजित की जाती है और महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण परिणामों पर बचत, ऋण, भुगतान और बीमा उत्पादों के प्रभाव के साथ-साथ प्रत्येक क्षेत्र में शेष खुले शोध प्रश्नों पर मौजूदा साक्ष्य प्रस्तुत करती है। इस समीक्षा में शामिल अध्ययन यादचिक नियंत्रण परीक्षणों (आरसीटी) के रूप में डिज़ाइन किए गए अध्ययनों तक ही सीमित हैं, जिन्हें व्यापक रूप से प्रभाव मूल्यांकन पद्धति में स्वर्ण मानक माना जाता है।[13,14,15]

परिणाम

समावेशी आर्थिक विकास में वृद्धि करने एवं गरीबी में कमी लाने के लिये आर्थिक रूप से वंचित वर्गों तक गुणवत्तापूर्ण वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं की पहुँच बढ़ाना आवश्यक है। इसे देखते हुए वित्तीय समावेशन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि महिलाएँ तुलनात्मक रूप से अधिक गरीबी, श्रम के असमान वितरण और आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण की कमी का अनुभव करती हैं।

आधार से जुड़े e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक-नो योर कस्टमर) से ऑकड़ों के संग्रहण और प्रमाणीकरण के प्रभावी कार्यान्वयन ने औपचारिक वित्तीय प्रणाली में महिलाओं के प्रवेश की बाधाओं को कम किया है। जनधन-आधार-मोबाइल (JAM) के जरिये 230 मिलियन महिलाओं को औपचारिक वित्तीय सेवा पारिस्थितिकी तंत्र में लाने की कोशिश की गई है।

डिजिटल प्रौद्योगिकियों और सरकार की पहल के बावजूद वित्तीय समावेशन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में आने वाली बाधाओं को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सका है।

महिलाएँ और वित्तीय समावेशन

- **वित्तीय लचीलापन:** कम आय वाले घरों में खर्च और बचत का निर्णय महिलाएँ लेती हैं। इस प्रकार वे पुरुषों की तुलना में अधिक प्रतिबद्ध और अनुशासित बचतकर्ता हैं।
 - कई शोधों से पता चला है कि जब भी उचित अवसर मिलता है तो महिलाएँ बचत करती हैं और ऐसा करके वित्तीय लचीलापन को बढ़ावा देती हैं। अतः बैंकों के लिये महिलाओं को लक्षित करना आर्थिक रूप से अधिक व्यवहार्य है।
- **सामाजिक पूँजी में वृद्धि:** वित्तीय संस्थानों के साथ महिलाओं के जुड़ने से, ऐसे संस्थानों में कार्य में महिलाओं की भागीदारी एवं ऋण प्राप्त करने से उनकी क्षमता बढ़ने से सामाजिक पूँजी में बढ़ोतरी होगी।
 - इस प्रकार 230 मिलियन महिला जन-धन ग्राहकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने से 920 मिलियन लोगों (यदि एक परिवार में औसतन चार सदस्य हों तो) के जीवनस्तर में सुधार संभव है।
- **महिलाओं के सशक्तीकरण और गरीबी में कमी के लिये:** कम आय वाली महिलाओं को बचत करने, उधार लेने, भुगतान करने और प्राप्त करने के लिये प्रभावी और सस्ता वित्तीय साधन प्रदान करना तथा जोखिम का प्रबंधन करना महिला सशक्तीकरण के साथ-साथ गरीबी में कमी दोनों उद्देश्यों के लिये महत्वपूर्ण है।[16,17,18]
- **वित्तीय समावेशन में लैंगिक अंतराल:** वर्ष 2017 के ग्लोबल फाइनडेक्स डेटाबेस के अनुसार, भारत में 15 वर्ष से अधिक आयु के 83% पुरुष जबकि, केवल 77% महिलाओं का खाता किसी वित्तीय संस्थान में खुला हुआ है।
-

माँग आधारित बाधाएँ:	आपूर्ति आधारित बाधाएँ:	कानूनी और नियामक बाधाएँ:
घर के भीतर सौदेबाजी की शक्ति (Bargaining Power) का अभाव।	समय की कमी या सामाजिक मानदंडों के कारण वित्तीय गतिशीलता में कमी।	खाता खुलवाने में आवश्यक प्रमाण पत्र जो महिलाएँ आसानी से प्राप्त नहीं कर सकती है।
ऐसी आर्थिक गतिविधियों में निवेश करना जो कम फायदेमंद है।	उत्पाद डिज़ाइन और विपणन के लिये लिंग-आधारित नीतियों और प्रथाओं का अभाव।	औपचारिक पहचान प्राप्त करने में बाधाएँ।
महिलाओं के अवैतनिक घरेलू काम में संलग्नता।	अनुचित वितरण चैनल।	संपत्ति और अन्य संपार्श्विक के स्वामित्व और विरासत प्राप्त होने में आये वाली कानूनी बाधाएँ।
ऋण लेने हेतु संपार्श्विक (Collateral) के लिये संपत्ति की कमी।	डिजिटल समावेशन की दर में कमी।	लिंग-समावेशी क्रेडिट रिपोर्टिंग सिस्टम का अभाव।

- लिंग-आधारित ऑकड़े: वित्तीय सेवा प्रदाताओं को ऐसी रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता है, जो लिंग आधारित ऑकड़ों का उपयोग करके जन-धन में महिला खातों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सके।
 - उन्हें महिलाओं को लक्षित करना चाहिये। उनके साथ संवाद स्थापित कर वित्तीय उत्पादों और प्रक्रियाओं को महिला केंद्रित बनाना चाहिये।
 - नीतिगत स्तर पर कम आये वाली महिलाओं के लिये उत्पादों और सेवाओं के निर्माण के लिये लिंग-आधारित ऑकड़ों को एकत्र करना एवं उनका विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है।
- डिज़ाइन में परिवर्तन: वित्तीय सेवा प्रदाताओं को वित्तीय उत्पादों को महिलाओं की आवश्यकताओं और वरीयताओं के अनुसार डिज़ाइन करना चाहिये। साथ ही उन उत्पादों का प्रभाव महिलाओं की निवेश करने की क्षमता पर अनुकूल रूप से पड़ना चाहिये।
 - ऐसे वित्तीय उत्पाद, जो महिलाओं को अपने आय और खर्च पर नियंत्रण के साथ-साथ अधिक-से-अधिक गोपनीयता प्रदान करते हैं, महिलाओं को आकर्षित करते हैं।
- वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करना: वित्तीय साक्षरता प्रदान करना वित्तीय समावेशन की कुंजी है।
 - इस संदर्भ में, भारतीय रिझर्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता परियोजना शुरू की है।
 - परियोजना का उद्देश्य विभिन्न लक्षित समूहों, जिनमें स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे, महिलाएँ, ग्रामीण एवं शहरी, रक्षा कर्मी तथा वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं, तक केंद्रीय बैंक और सामान्य बैंकिंग अवधारणाओं के बारे में जानकारी पहुँचाना है।[19]

निष्कर्ष


महिलाओं को लक्षित कर वित्तीय समावेशन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर ऋण की उपलब्धता एवं काम के अवसरों तक महिलाओं की पहुँच बढ़ाने से महिलाओं का सशक्तीकरण तो होगा ही साथ ही, घरेलू स्तर पर आर्थिक लचीलापन भी बढ़ेगा, जो किसी भी आर्थिक संकट (उदाहरण स्वरूप महामारी में बेरोजगारी का संकट) के समय पतवार की तरह कार्य करेगा। [20]

संदर्भ

1. नंदा, काजोल; कौर, मनदीप (2016)। "वित्तीय समावेशन और मानव विकास: एक क्रॉस-कंट्री साक्ष्य"। प्रबंधन और श्रम अध्ययन . 41 (2): 127-153. डीओआई : 10.1177/0258042X16658734 | एस2सीआईडी 158002205 |
2. ^ एबी विश्व बैंक (2013-11-07)। वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट 2014: वित्तीय समावेशन। विश्व बैंक। डीओआई : 10.1596/978-0-8213-9985-9 | एचडीएल : 10986/16238 | आईएसबीएन 978-0-8213-9985-9.
3. ^ शंकर, सविता (2013)। "भारत में वित्तीय समावेशन: क्या माइक्रोफाइनेंस संस्थान पहुँच बाधाओं का समाधान करते हैं?" (पीडीएफ) . एसीआरएन जर्नल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पर्सपेक्टिव्स | 2 : 60-74.
4. ^ मार्गनि, पी, जे. (2020)। "वियतनाम 1154 में फिनटेक और वित्तीय साक्षरता"। एडीबीआई वर्किंग पेपर श्रृंखला ।
5. ^ इब्राहिम, एसएस; अलीरो, एचएम (2020)। "आय अभिसरण पर वित्तीय समावेशन के प्रभाव का परीक्षण: नाइजीरिया से अनुभवजन्य साक्ष्य"। अफ्रीकी विकास समीक्षा . 32 (1): 42-54.
6. ^ रंजनी, केएस; बापट, वरदराज (जनवरी 2015)। "खाता खोलने से परे वित्तीय समावेशन को गहरा बनाना: बैंकों के लिए आगे की राह"। व्यावसायिक परिप्रेक्ष्य और अनुसंधान | 3 (1): 52-65. डीओआई : 10.1177/2278533714551864 | आईएसएसएन 2278-5337 . एस2सीआईडी 168066239 |
7. ^ दीक्षित, आर., घोष, एम. (2013)। भारत के समावेशी विकास के लिए वित्तीय समावेशन - भारतीय राज्यों का एक अध्ययन। बिजनेस मैनेजमेंट और रिसर्च के इंटरनेशनल जर्नल. 3, 147-156.
8. ^ "अवलोकन"। विश्व बैंक | 2020-04-22 को पुनः प्राप्त किया गया .
9. ^ शंकर, सविता (2013)। "भारत में वित्तीय समावेशन: क्या माइक्रोफाइनेंस संस्थान पहुँच बाधाओं का समाधान करते हैं?" (पीडीएफ) . एसीआरएन जर्नल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पर्सपेक्टिव्स | 2 : 60-74.
10. ^ अर्प, फ्रिथजॉफ़ (12 जनवरी 2018)। "34 बिलियन डॉलर का प्रश्न: क्या माइक्रोफाइनेंस गरीबी का उत्तर है?"। वैश्विक एजेंडा . विश्व आर्थिक मंच।
11. ^ अर्प, फ्रिथजॉफ़; अर्दिसा, एल्विन; अर्दिसा, अलवियानी (2017)। "गरीबी उन्मूलन के लिए माइक्रोफाइनेंस: क्या अंतर्राष्ट्रीय पहल प्रतिस्पर्धा और मध्यस्थता के बुनियादी सवालों की अनदेखी करती हैं?"। बहुराष्ट्रीय निगम | 24 (3). व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन: 103-117। डीओआई : 10.18356/10695889-एन | एचडीएल : 10419/170696 | एस2सीआईडी 73558727 | अंकटाड/डीआईएई/आईए/2017डी4ए8।
12. ^ "अवलोकन"। विश्व बैंक | 2018-12-09 को पुनःप्राप्त .
13. ^ "गरीबों के लिए वित्तीय सेवाएँ - सहायता" संग्रहीत 2014-02-12 पर वेबैक मशीन, अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए ऑस्ट्रेलियाई एजेंसी (AusAID), मार्च 2010।
14. ^ एबीसी "वित्तीय समावेशन बढ़ रहा है, लेकिन कमियां बनी हुई हैं, ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस से पता चलता है"। विश्व बैंक। विश्व बैंक ग्लोबल फाइंडेक्स | 19 अप्रैल 2018 को लिया गया।
15. ^ "वित्तीय समावेशन और एसडीजी"। संयुक्त राष्ट्र पूँजी विकास कोष। राष्ट्र पूँजी विकास कोष.
16. ^ एबी विलानोवा, हेक्टर कारसेल; छाबड़ा, ईशा; फैन, यिंगजी (2020)। वित्तीय पहुँच सर्वेक्षण 2020 रुझान और विकास। वाशिंगटन डीसी: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष।



17. ^ ए बी मुथिओरा, ब्रायन; बहिया, काल्विन (2020)। मोबाइल मनी रेगुलेटरी इंडेक्स 2019 (पीडीएफ)। जीएसएमए।
18. ^ "विश्व बैंक समूह व्यवसाय करना बंद करेगा रिपोर्ट"। विश्व बैंक। 2021-10-21 को पुनःप्राप्त।
19. ^ फलेचर, टेरी (2021-10-19)। "एमसीसी के स्कोरकार्ड पर वित्तीय समावेशन को मजबूत करना"। मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन। 2021-10-21 को पुनःप्राप्त।
20. ^ ए बी "पी चिदंबरम ने क्रिसिल इनक्लूसिक्स लॉन्च किया" संग्रहीत 2013-06-29 पर वेबैक मशीन, डीएनए इंडिया, 25 जून, 2013।



ISSN

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA



INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

| Mobile No: +91-6381907438 | Whatsapp: +91-6381907438 | ijmrset@gmail.com |